न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 04/2023

उनवान

1. सुनील कुमार टेलर पुत्र कैलाशचन्द टेलर जाति दर्जी निवासी 14 अनुपम नगर, सोफीया स्कूल के पास, अजमेर।

––– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. धनराज पुत्र धनश्याम जाति अहीर नि0 जगपुरा, नसीराबाद
2. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र धनश्याम जाति अहीर नि0 मोतीपुरा, नसीराबाद
3. रामकिशोर
4. कैलाश
5. रामनिवास
6. रामजीलाल पि0 हेमराज समस्त जाति यादव नि0 मोतीपुरा, नसीराबाद
7. महावीर पुत्र राम सिंह पुत्र हेमराज
8. भंवरी पत्नी राम सिंह पुत्र हेमराज
9. मनीषा
10. विजयलक्ष्मी
11. पूनम
12. अमिता पुत्रिया राम सिंह पुत्र हेमराज समस्त जाति यादव नि0 म0न0 363/33 पाल बीछला लोकोशेड के पीछे, अजमेर मो0न0 9785755007
13. आकाश पुत्र रामेश्वर
14. गणेश पुत्र रामेश्वर
15. पुष्पा पत्नी रामेश्वर
16. मधु पुत्री रामेश्वर
17. राकेश पुत्र रामेश्वर
18. श्रीराम पुत्र रामेश्वर
19. सुरेश पुत्र रामेश्वर
19. सुशीला पुत्री हेमराज
20. शान्ति पत्नी हेमराज (तर्क) समस्त जाति यादव नि0 मोतीपुरा, नसीराबाद
21. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा शाखा नसीराबाद
22. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

––– अप्रार्थी 4 जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव
जरियें रा0 पैरोकार
शेष अनुपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:35:44 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: आदेश :-

दिनांक :- 12.7.23

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जगपुरा पटवार मण्डल चाट, तहसील नसीराबाद के खाता संख्या 167/107 खसरा नम्बर 11 रकबा 0.10 व 5 रकबा 0.98 किता 2 रकबा 1.08 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है जिस पर प्रार्थी निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है।. उक्त आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी मुख्य मार्ग खसरा नम्बर 27 के बाद खसरा नम्बर 13 रकबा 0.27 के कोने से अपने खातेदारी खेत 11 में आवागमन करते है। खसरा नम्बर 13 रकबा 0.27 अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। जिस पर से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन करते आ रहे है। प्रार्थी के पास उक्त आराजी पर आवागमन के अतिरिक्त अन्य कोई मार्गाधिकार भूमि पर सुलभ पहुच हेतु विधमान नही है। खसरा नम्बर 13 में से 30 फिट रास्ता दिये जाने पर प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 11 व 5 पर आवागमन हेतु मुख्य मार्ग से आवागमन उपलब्ध हो जायेगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम जगपुरा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी खाता संख्या 167/107 खसरा नम्बर 11 रकबा 0.10 व 5 रकबा 0.98 किता 2 रकबा 1.08 पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 13 रकबा 0.27 मे से प्रार्थी को 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार नसीराबाद को राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किसर कि प्रार्थी द्वारा कभी भी खसरा नम्बर 13 में से आवागमन नही किया है। आराजी मुतनाजा के पूर्व खातेदार भी खसरा नम्बर 14 में से आवागमन करते थे। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 13 में से 30 फिट रास्ता चाहा है जो कि पूर्णतया गलत है। कृषि कार्य हेतु 10 फिट का रास्ता ही पूर्ण है। प्रार्थी 30 फिट रास्ता लेकर अपनी भूमि की मूल्य वृद्धि करना चाहता है।धारा 251 ए में डी0एल0सी0 दर से भुगतान के अतिरिक्त भूमि के बदले भूमि का भी प्रावधान है। किन्तु प्रार्थी द्वारा भूमि के बदले भूमि का अंकन प्रार्थना पत्र में नही किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी को हैरान परेशान करने के लिये पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया गया। ग्राम जगपुरा पटवार मण्डल चाट, तहसील नसीराबाद के खाता संख्या 167/107 खसरा नम्बर 11 रकबा 0.10 व 5 रकबा 0.98 किता 2 रकबा 1.08 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। खसरा [illegible] दर्ज है। खसरा नम्बर 13 अप्रार्थीगण की खातेदारी है। तहसीलदार नसी[illegible] प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवा[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:35:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

——3

खसरा नम्बर 5 व 11 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 13 में से 30 फिट चौडा रास्ता जिसकी लम्बाई 49 मीटर है चाहा गया है। उक्त रास्ते की भूमि की डी0एल0सी0दर से राशि 8027/ रूपये होती है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आवश्यकता है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु कोई लघुतम/दीर्घतम रास्ता उपलब्ध नही है। रिपोर्ट अनुसार अन्य वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता नही है। प्रकरण में चाहे गये रास्ते की प्रार्थी को आत्यांतिक आवश्यकता सिद्व होती है। प्रार्थना पत्र के खण्डन के तथ्य पत्रावली पर नही है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि पूर्व खातेदार द्वारा खसरा नम्बर 14 मे से आवागमन किया जाता था। किन्तु इसके समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किये है भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर 14 में कोई मार्ग नही है। प्रार्थी का कथन है कि मार्ग हेतु 10 फिट भूमि ही पर्याप्त है किन्तु 10 फिट मार्ग कृषि कार्य हेतु पर्याप्त नही होता है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि उन्हे भूमि के बदले भूमि दी जाये जो कि धारा 251 ए के प्रावधान में भी है किन्तु भूमि के बदले भूमि के प्रावधान दोनो पक्ष की सहमती से ही संभव है। 2019 आर आर टी पेज 1210 से 1215 की नजीर के अनुसार '' **यहा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त धारणा जिसमें रास्ता देने वाले व रास्ता लेने वाले दोनो पक्षों में रास्ते में आयी भूमि के बदले भूमि भूमि दिए जाने पर सहमति है तो उसके अनुसार काश्तकारी नियम 70 (1)(1) के अनुसार भूमि दी जा सकती है परन्तु यदि दोनो पक्षों के मध्य सहमती नही हो तो काश्तकारी नियम 70 (1)(2) के अनुसार मुआवजा राशि निर्धारित की जा सकती है।**'' धारा 251 ए में अधिकतम 30 फिट चौडा रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। खसरा नम्बर 13 अप्रार्थी संख्या 21 के पक्ष में रहन दर्ज है। किन्तु मार्ग हेतु 0.0448 भूमि की ही आवश्यकता है। उक्त खाते में अन्य भूमि भी अप्रार्थी संख्या 21 के पक्ष में रहन है। जिस कारण बैंक के हित प्रभावित नही होते है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 13 में से 30 फिट चौडा रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **''स्वीकार''** किया जाता है। प्रार्थी को ग्राम जगपुरा के खसरा नम्बर 13 में से (30 फिट चौडा) 49 मीटर लम्बा कुल रकबा 0.0448 है0 भूमि रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे व खसरा नम्बर 13 की मुआवजा डी.एल.सी. दर की दो गुना राशि 16054/ अक्षरे सोलह हजार चोवन रूपये प्रार्थी से प्राप्त कर खातेदार को भुगतान करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:35:44 IST
Reason: SelfAttested